उत्तरांचल सरकार
वित्त अनुभाग–5
संख्या– 306/XXVII(5)/(01/स्टाम्प/04)/2005
देहरादूनः दिनांक 4 अक्टूबर, 2005

अधिसूचना

राज्यपाल समय–समय पर यथासंशोधित, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या–2) (उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, भारतीय जीवन बीमा निगम को पॉलिसी बॉण्डों पर लगने वाले इन्श्योरेन्स स्टैम्प्स के स्थान पर उत्तरांचल सरकार के पूर्व अनुमोदन से उक्त निगम द्वारा तत्स्थानी पूर्ववर्ती पक्ष में उपयोग में लाये गये वास्तविक इन्श्योरेन्स स्टैम्प्स के मूल्य के बराबर ''संकलित स्टाम्प शुल्क'' की धनराशि अग्रिम रूप में जमा करने तथा ऐसी अनुमति से संबंधित अग्रिम भुगतान कर दिये जाने का उल्लेख निगम द्वारा पॉलिसी बॉण्डों में किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 306(2)/XXVII(5)/स्टाम्प/(01/स्टाम्प/04) 2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल, देहरादून।
2. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तरांचल देहरादून।
4. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
5. समस्त जिला निबन्धक, उत्तरांचल।
6. उप–निदेशक, राजकीय प्रेस, रूड़की को इस अनुरोध सहित कि वे अधिसूचना को उसी दिनांक के आसाधारण गजट के भाग 4 खण्ड (ब) में प्रकाशित कराते हुये उसकी 200 प्रतियॉ शासन के वित्त अनुभाग–5 को अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
7. न्याय/विधायी अनुभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एल0एम0 पन्त)
अपर सचिव।